कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1158 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, नवम्बर 21 ,2022.

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
उ0प्र0 बांदा।

विषयः– विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर–राठ–गरौठा–गुरसराय–झांसी राज्य राजमार्ग–42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौठा (झांसी जनपद) (मिसिंग लिंक–किमी 74.550 से किमी 110.360) तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे0 आरक्षित एवं 1.0684 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/117342/2020.

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1331/11–सी–FP/UP/Road/117342/2020/ दिनांक 12.10.2022 एवं आपका पत्रांक–1722/33–1/दिनांक 17.10.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख 05 प्रतियों में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	हमीरपुर वन प्रभाग में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 625 पौंधें प्रति हे0 की दर से वृक्षारोपण प्रस्तावित है, जो कि भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य नही है। अतः कम से कम 1000 पौधें प्रति हे0 की दर से प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्नकर ऑन लाइन भाग–2 में धनराशि सहित अपलोड करें।	प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 625 पौधें प्रति हे0 की दर के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित 1100 पौधें प्रति हे0 की दर से प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। ऑन लाइन भाग–2 में धनराशि अंकित कर एडीशनल इन्फार्मेशन में प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।
2	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्नकर ऑन लाइन अपलोड करें।	वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी से संशोधित प्रमाण पत्र जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है। यूजर एजेंसी का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रमाणित कर प्रस्ताव में संलग्नकर ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iv) में CA का प्राक्कलन अपलोड नही किया गया है। अतः उपरोक्त बिन्दु 01 के अनुसार संशोधित प्राक्कलन एवं गैर वनभूमि पर प्रस्तावित प्राक्कलन समेकित रूप से ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें तथा ऑन लाइन भाग–2 के Additional Information Deteail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलीट कर संशोधित प्राक्कलन यथास्थान पर अपलोड करें।	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iv) में CA का संशोधित प्राक्कलन एवं गैर वनभूमि पर प्रस्तावित प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्नकर अपलोड कर दिया गया है तथा ऑन लाइन भाग–2 के Additional Information Deteail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलीट कर संशोधित प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है। ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (iv) में सी0ए0 प्राक्कलन अपलोड नही हो रहा है।

4	ऑन लाइन भाग–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैरवनभूमि (4.068 हे0) को अवनत वनभूमि के रूप में दर्शातें हुये पुनः अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट करें।	ऑन लाइन भाग–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वनभूमि (4.068 हे0) को अवनत वनभूमि के रूप में दर्शातें हुये पुनः अपलोड किया गया, विवरण डिलीट कर दिया गया है।
5	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक C (ii) and C(iii) में अवनत वनभूमि के Geo Referenced Digital Map and SOI Toposeet के साथ 4.068 हे0 गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map and SOI Toposeet भी अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः अवनत वनभूमि का Geo Referenced Digital Map and SOI Toposeet अपलोड करें।	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक C (ii) and C(iii) में 4.068 हे0 गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map and SOI Toposeet डिलीट कर अवनत वनभूमि का Geo Referenced Digital Map and SOI Toposeet अपलोड कर दी गयी है।
6	ऑन लाइन भाग–2 के क्रमांक 15 में अपलोड किया गया वन संरक्षक का Site Inspection Report ओपन नही हो रहा है।	आपके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।
7	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न कर दी गयी है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार अभिलेख 05 प्रतियों में।

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या 1158 **/अ/समदिनांकित।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन उ0प्र0 झॉसी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशाषी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि अपने प्रतिनिधि को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे इस कार्यालय से समस्त अभिलेख प्राप्तकर वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त बॉदा से सम्पर्क कर प्रस्ताव अग्रेसित कराना सुनिश्चित करें।

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

Received
Ravish Kumar
9064898433